आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 12.03.2026
समय 1305

मुख्य समाचार

- राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन; विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सदन में हो रही है चर्चा।
- प्रदेश में खाद्य और रसद व्यवस्था की निगरानी के लिए सरकार की विशेष व्यवस्था। उत्तराखंड राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, देहरादून में अधिकारियों और विशेषज्ञों की तत्काल प्रभाव से की गई तैनाती।
- घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के कारगर कदमों के फलस्वरूप भारत में एलपीजी उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ा।
- **और,** चारधाम यात्रा और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिगत पाँच जिलों में एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली और आँकड़ा विश्लेषण व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

बजट सत्र

गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा हो रही है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोखजोख देखने को मिली। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपेक्षा जताई कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें।

खाद्य व्यवस्था

पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्य में खाद्य और रसद व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत उत्तराखंड राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, देहरादून में अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती तत्काल प्रभाव से की गई है।

राज्य सरकार के अनुसार इन अधिकारियों का मुख्य कार्य प्रदेश में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी करना होगा। वे प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करेंगे, आवश्यक सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण करेंगे तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए रखेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बढोतरी

भारत में रसोई गैस एलपीजी के घरेलू उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाद हुई है।

नई दिल्ली में कल शाम पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर आयोजित अंतर–मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री सुजाता शर्मा ने बताया कि 8 मार्च 2026 को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल परिसरों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।

संयुक्त सचिव ने कहा है कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अब होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर से आ रहा है।

गैस आपूर्ति

इस बीच घरेलू गैस (एलपीजी) की आपूर्ति को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के दृष्टिगत चम्पावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार और चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रशासन के अनुसार जिले में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी का स्टॉक है। उपभोक्ता को किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर जारी किये गए हैं।

वहीं गैस बुक करने गए एक उपभोक्ता सतीश मुरारी ने बताया कि सर्वर डाउन होने से गैस बुकिंग में दिक्कत आ रही है। लेकिन भ्रामक सूचनाओं के कारण उपभोक्ता गैस बुक कर रहे है, जिससे यह स्थित आ रही है।

अनुमोदन

इस वर्ष चारधाम यात्रा और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए पाँच जिलों में एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली और आँकड़ा विश्लेषण व्यवस्था स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए अनुमोदन दिया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 75 करोड़ 36 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, बाढ़ सुरक्षा, नगर विकास और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्य शामिल हैं।

पौड़ी गढ़वाल जिले के पाबौ विकासखंड में बेड़ा का जगड़ मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण, हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित राजकीय उपजिला चिकित्सालय में विद्युत रीवायरिंग तथा देहरादून जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में न्यू कैंट मोटर मार्ग को सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक चौड़ा करने के कार्य को स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा चंपावत जिले में बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के दाएं किनारे पर तटबंध और बाढ़ सुरक्षा कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण, नगर निगम पिथौरागढ़ में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण तथा टनकपुर में मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल निर्माण के कार्य भी इन योजनाओं में शामिल हैं।

बजट–एक नजर

राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिये एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।

राज्य में अवस्थापना विकास को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। बजट में सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत मद में 2 हजार 501 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए एक हजार 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। शहरी विकास विभाग का बजट बढ़ाकर एक हजार 814 करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष एक हजार 161 करोड़ रुपये था। ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक हजार 609 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा रिस्पना और बिंदाल यूटिलिटी शिफ्टिंग योजना के लिए 350 करोड़ रुपये, आवास विभाग के लिए 130 करोड़ रुपये तथा पुलिस आवास और जेल निर्माण के लिए 135 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय अवस्थापना के लिए अतिरिक्त 60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

बजट में नागरिक उड्डयन विभाग के पूंजीगत कार्यों के लिए 52 करोड़ 50 लाख रुपये तथा टिहरी रिंग रोड निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग निर्माण के लिए भी 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने पहाड़ के तीन नगर निकायों गैरसैंण, बाड़ाहाट–उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि राज्य के विकास के लिए अवसंरचना को मजबूत करना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से सड़कों, ऊर्जा और आधुनिक आधारभूत ढांचे को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रद□िनी

हरिद्वार के बैरागी कैंप में न्याय संहिताओं के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित प्रदर्शनी कल संपन्न हो गई।

पाँच दिन चली इस प्रदर्शनी में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी नवाचार, डिजिटल साक्ष्य, समयबद्ध जांच, पीड़ितों के अधिकार तथा महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को भी सरल तरीके से समझाया गया। इसके लिए सूचना पैनल, डिजिटल डिस्प्ले, पोस्टर और ऑडियो–विजुअल माध्यमों का उपयोग किया गया।

प्रदर्शनी में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, युवा, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सुरक्षा बलों, प्रशिक्षण संस्थानों और विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, संवादात्मक प्रस्तुतियां और जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए।